

सेवा में,

प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
फरीदाबाद, बराड़ा एट होली, पाली, दडौली अहीर, गुरुग्राम, उचाना खुर्द, तरावड़ी, रोहतक,
असंध, भारांपुर, फरमाना, जहांगीरपुर, कादमा, कंसाला, नूहं, पाथरी, पिंगवाना, पुनहाना व महिला
नारनौल, महिला तोशाम, महिला फिरोजपुर झिरका व महिला नूहं।

यादि क्रं T-5/Affiliation/Granted/DGT/Trg/2014/ 131

दिनांक:-21.04.2017

विषय:- कारण बताओ नोटिस बारे।

निदेशालय के पत्र क्रमांक: 3815 दिनांक 01.03.2017, 370-ए दिनांक 09.01.2017 तथा 6100
दिनांक 29.03.2017 के संदर्भ में।

उपरोक्त पत्रों के माध्यम से आपके संस्थान में चल रहे एस0सी0वी0टी0 ट्रेड युनिटस का
एन0सी0वी0टी0 से सम्बन्धन न करवाने बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करने बारे लिखा गया था। परन्तु
निदेशालय के लगातार स्मरण पत्र (विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध) जारी करने के पश्चात भी आप द्वारा
निदेशालय पर कोई जवाब नहीं भेजा गया। इस विषय को गम्भीरता से लिया गया है। क्यों न आपको उस
अवधि के दौरान (दिनांक 01.03.2017 से अब तक) अनुपस्थित मान लिया जाए व इस अवधि का वेतन भी
काट लिया जाए ?

अतः आपको इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए दिनांक 27.04.2017 तक का
समय दिया जाता है अन्यथा विभाग आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।

Nar Singh 21/4/2017
संयुक्त निदेशक (तकनीकी)

कृते: निदेशक कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
हरियाणा

CC:

उपरोक्त की एक प्रति निजी सहायक, निदेशक को सूचनार्थ भेजी जाती है।

उपरोक्त की एक प्रति नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाईट।